अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांकः एफ 27(43)ग्राविवि–5/पीएमएवाई/मॉनिटरिंग–1./विविध/ 2016–17 जयपुर, दि.13 अप्रैल, 2016

जिला कलक्टर,
समस्त ,राजस्थान।

विषयः– **प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण योजना के कियान्वयन हेतु SECC–2011(सेक–2011) के डाटा के आधार पर ग्राम सभा दिनांक 24 अप्रेल में ग्राम पंचायतवार वरियता सूची तैयार कराने बाबत।**

ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, कृषि भव न, नई दिल्ली, के अ.शा. पत्र क्रमांक H-11013/5//2015-RH(M&T) दिनांक 23 मार्च 2016 द्वारा केन्द्रय केबिनेट द्वारा "**प्रधानमंत्री आवास योजना –ग्रामीण**" का अनुमोदन " सभी को आश्रय–2022 " तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार "**ग्राम उदय से भारत उदय अभियांन**" दिनांक 14. अप्रैल, से 24 अप्रैल 2016 तक चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 24 अप्रेल को ग्राम सभा आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय,, भारत सरकार, से प्राप्त निर्देशानुसार लाभार्थियों का चयन **SECC–2011(सेक–2011) की रिपोर्ट के अनुसार डाटा के उपयोग बाबत** विभागीय स्तर पर जिला परिषदों के अधिशाषी अभियंता (अभि.) एवं एमआईएस मेनेजरो की कार्यशाला/विडियो कान्फ्रेसिग दिनांक 11.04.2016 को द्वारा **SECC–2011(सेक–2011) की सूची साफ्ट कापी (पेन ड्राईव) में उपलब्ध कराकर** ग्राम पंचायतवार सूची तैयार कराने बाबत विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा दी गई है।

भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के कियान्वयन हेतु निम्नानुसार समय सीमा निर्धारित की गई है जिससे वर्ष 2016–17 की स्वीकृतियॉ 01 मई 2016 से जारी की जा सके।

क.सं.	नाम गतिविधि	दिनांक
1	ग्राम पंचायातो को पात्र लाभार्थियों की वर्गवार वरीयता सूची उपलब्ध कराना (SC,ST, Minority & others)	21. अप्रेल
2	ग्राम सभा द्वारा वरीयता सूची का सत्यापन/अनुमोदन	24. अप्रेल
3	जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में अपीलेट (Appellate) कमेटी का गठन जिसमें एक राजकीय अधिकारी एवं एक गैर सरकारी सदस्य हो।	25.अप्रेल
4	प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण	30.मई
5	अन्तिम वरीयता सूची का प्रकाशन एवं आवास साफ्ट पर अपलोडिग	07 जून
6	वार्षिक चयन सूची तैयार करना	20 जून

उक्त सम्बंध में योजनान्तर्गत ग्राम सभा से अनुमोदित वरीयता सूची पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार अपीलेट (Appellate) कमेटी का गठन किया जाता है।

1	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य सचिव
3	जिला कलेक्टर द्वारा नामित गैर सरकारी प्रतिनिधि	सदस्य

अतः दिनांक 24 अप्रेल 2016 को आयोजित की जा रही ग्राम सभा में संलग्न विवरण अनुसार उक्तानुसार निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही कराकर दिनांक 07 जून 2016 तक आवास साफ्ट पर अन्तिम वरीयता सूची अपलोड कराकर विभाग को ई–मेल द्वारा भी आवश्यक रूप से प्रेषित करावे।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

13/4/16

(संजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. संयुक्त सचिव,(ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, एवं आयुक्त, पंचायत राज विभाग।
7. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
8. परि. निदेशक एवं उप सचिव, (मो एवं मू)ग्रावि को विभागीय –वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
10. जिला आवास प्रभारी, जिला परिषद, समस्त ।

13/4

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

Pradhan Mantri Awaas Yojana - Gramin

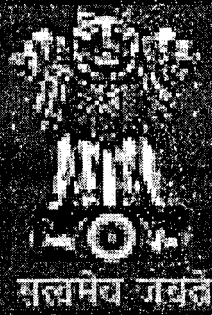

Ministry of Rural Development

Government of India

Salient Features of PMAY-G

Indira Awaas Yojana is now Pradhan Mantri Awaas Yojana -Gramin

Assistance to be provided for construction of 1 Cr. houses in rural areas over the period of 3 years from 2016-17 to 2018-19

Unit assistance to be enhanced to Rs. 1,20,000 in plain areas and to Rs. 1,30,000 in hilly states/difficult areas /IAP districts

Additional financial requirement of Rs 21,975 Cr. to be met by borrowing through National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)

SECC-2011 data to be used for identification of beneficiaries

Setting up of National Technical Support Agency at national level to provide technical support in achieving the target set under the project.

Rules for Selection of Beneficiary using SECC data